

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(27)एम.ई./ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक: 19 1 MAY 2020

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार न्यूरोलोजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा जारी की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो तो, इसके जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित समयवाधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

वरिष्ठ आचार्य/आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० राजेन्द्र सिंह जैन	सामान्य	13.09.1959	2013-14	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2013
2.	डॉ० अनिता भार्गव	सामान्य	06.12.1959	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
3.	डॉ० अजनी कुमार शर्मा	सामान्य	06.09.1962	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
4.	डॉ० विजय सरदाना	सामान्य	09.06.1964	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
5.	डॉ० अरविन्द व्यास	सामान्य	06.02.1963	2015-16	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2015
6.	डॉ० भावना शर्मा	सामान्य	30.10.1969	2016-17	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2016
7.	डॉ० बी० एल० कुमावत	अपिजा	04.09.1965	2019-20	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2019
8.	डॉ० त्रिलोचन श्रीवास्तव	सामान्य	27.09.1966	2019-20	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2019
9.	डॉ० शुभकरण	सामान्य	27.09.1966	2016-17	आचार्य 01.04.2016
10.	डॉ० दिनेश चन्द खण्डेलवाल	सामान्य	10.01.1970	2017-18	आचार्य 01.04.2017

सह-आचार्य

1.	डॉ० दिलीप माहेश्वरी	सामान्य	15.11.1972	2019-20	01.04.2019
2.	डॉ० दीपक जैन	सामान्य	15.06.1976	2019-20	01.04.2019
3.	डॉ० तरुण कुमार रलोत	सामान्य	18.06.1977	2019-20	01.04.2019

सहायक आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० रविन्द्र सिंह	अपिव	16.06.1972	18.08.2012 (डेफर प्रकरण)
2.	डॉ० राहुल गुप्ता	सामान्य	03.11.1985	03.05.2017 (नियुक्ति तिथि)
3.	डॉ० जगदीश चन्द्र कूकणा	अपिव	05.01.1976	03.05.2017 (नियुक्ति तिथि)
4.	डॉ० इन्द्र पुरी	अपिव	16.05.1983	03.05.2017 (नियुक्ति तिथि)

आज्ञा से

(सुनील शर्मा) 11/05/2020

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन उप सचिव